संख्या-12/2017/1832/78-2-2017-42आईटी/2017टीसी

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 28 जुलाई, 2017

विषय:- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये के सम्बन्ध में दिनांक 08, 09 एवं 10-8-2017 को योजना भवन, लखनऊ में ट्रेनिंग सेशन आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उ0प्र0 में सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/ जॉबवर्क एवं सामाग्री के क्रय तथा चालू दर अनुबन्ध (रेट कान्ट्रेक्ट) हेतु एनआईसी द्वारा विकसित ई- प्रोक्योरमेन्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए समस्त शासकीय विभागो/ उपक्रमों इत्यादि में शासनादेश क्रमांक 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12-5-2017 द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया को बाध्यकारी कर दिया गया है। शासकीय विभागों इत्यादि में ई- प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु एनआईसी के पोर्टल (https://etender.up.nic.in) का उपयोग करते हुए यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2- विभागो में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना एक वृहद प्रक्रिया हैं, जिसमे सभी विभागो से मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिये जाने का कार्य यूपीएलसी द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में आईटी एवं इले0 विभाग द्वारा राज्य स्तर पर मण्डल स्तर पर एवं जनपद स्तर पर ट्रेनिंग दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त् के क्रम में दिनांक 08, 09 एवं 10-8-2017 को योजना भवन, लखनऊ के कक्ष संख्या-211 मे प्रत्येक दिन 2-2 घन्टे के चार ट्रेनिंग सेशन आयोजित किये जायेगें (10-12, 12-2, 2-4 एवं 4-6) जिसके माध्यम से विभागों में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये के सम्बन्ध में ट्रेनिंग/ हैन्डहोल्डिंग प्रदान की जायेगी। उपरोक्तानुसार किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा दिनांक 8, 9 एवं 10-8-2017 को दिन के किसी भी सेशन में प्रतिभाग किया जा सकता है। एक ट्रेनिंग सेशन में 25 अधिकारीगण तक प्रतिभाग कर सकते है।

3- यहा यह उल्लेखनीय है कि उक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों का ही प्रतिभाग किया जाना है, एवं उक्त प्रोग्राम में विशेष सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अपेक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 08, 09 एवं 10-8-2017 को योजना भवन, लखनऊ में आयोजित ट्रेरेनिंग सेशन में स्वयं प्रतिभाग करने अथवा विशेष सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करते हुए उसकी सूचना आईटी एवं इले0 विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

सँख्या-12/20171832/78-2-2017तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, गृह को इस आशय से प्रेषित की वे आवश्यकतानुसार आईपीएस अधिकारियो को भी उक्त ट्रेनिग प्रोग्राम मे प्रतिभाग करने का निर्देश करने का कष्ट करे।
2- प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी, लखनऊ।
3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ/चेन्नई।
4- भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasan desh. p.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।